इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 सितम्बर 2011—आश्विन 7, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. बी-4-13-2011-2-पांच (29).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा 1 जून 2011 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, निम्नलिखित शर्तों पर समेकित किया जा सकेगा, तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश में किसी भी शासकीय कोषालय में किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(1) बीमा की प्रत्येक पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान पूर्वोक्त रीति में कर दिया गया है, ऐसा पृष्ठांकन केवल इस अधिसूचना के अधीन संदत्त समेकित स्टाम्प शुल्क की राशि की सीमा तक किया जाएगा.

(2) शासकीय कोषालय में 10 लाख रुपए की समेकन राशि के भुगतान की चालान की एक प्रति महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी.

(3) उस कालावधि के अव्यवहित पश्चात् जिसके कि लिए शुल्क का समेकन किया गया है, पॉलिसियों की संख्या, प्रतिभूत रकम एवं उस अवधि के दौरान जारी की गई पॉलिसियों पर संदत्त किए गए स्टाम्प शुल्क की सही-सही रकम समाविष्ट करते हुए, प्रत्येक तिमाही के अन्त में एक विवरण, कार्यालय पंजीयन महानिरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपरसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. बी-4-13-2011-2-पांच (29).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. बी-4-13-2011-2-पांच (29) दिनांक 29 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th September 2011

No. F-B-4-13-2011-2-V-(29).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, directs that the stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by the Oriental Insurance Company Limited during the period from 1 June 2011 to 31 March 2012 may be consolidated and paid into any Government Treasury in Madhya Pradesh on the following conditions, namely :—

(1) It shall be indicated by endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforsaid manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this notification.

(2) A copy of the Challan of payment of consolidation amount of Rs. 10 lakhs in the Government Treasury shall be submitted in the office of Inspector General of registration.

(3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the Statement consisting of the policy numbers sum assured and the exact amount of stamp duty paid on the policies issued during the period shall be provided to the office of Inspector General of Registration at the end of every quarter.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.